

कार्यालय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद औरैया।

कार्यालय विज्ञप्ति

पत्रांक:-

109

/डीएलएसए/औरैया


दिनांक:-21 फरवरी, 2024

शासनादेश सं० 827/सात- न्याय-7-2014-47/2002 दिनांक 18.11.2014 के अनुसार जनपद न्यायालय, औरैया में गठित स्थाई लोक अदालत में उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र सं० 1228/SLSA-5/2002 PS दिनांकित 11.04.2023 के अनुसार जिला न्यायालयों अथवा कलेक्ट्रेट न्यायालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से निम्नलिखित पदों पर मानदेय पर अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 11.03.2024 तक आवेदन आहूत किये जाते हैं।

क्र सं.	पदनाम	पदों की संख्या	योग्यता
1.	पेशकार	01	जिला न्यायालयों अथवा कलेक्ट्रेट न्यायालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिकतम 02 वर्ष के लिए एक निर्धारित मानदेय रु० 9000/- प्रतिमाह पर अनुबन्धित कर कार्य कराया जायेगा।
2.	आशुलिपिक	01	तदैव
3.	चपरासी	01	जिला न्यायालयों अथवा कलेक्ट्रेट न्यायालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिकतम 02 वर्ष के लिए एक निर्धारित मानदेय रु० 7000/- प्रतिमाह पर अनुबन्धित कर कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्त पदों हेतु उपरोक्त वर्णित योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थीगण से निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 11.03.2024 समय सायं 05.00 बजे तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थित जनपद न्यायालय औरैया के कार्यालय में, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट (<https://allahabadhighcourt.in>) पर तथा जनपद न्यायालय औरैया की ई-मेल (dcaur@allahabadhighcourt.in) पर विज्ञापन सहित उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया में डाक द्वारा एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करा सकते हैं। अंतिम तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार के डाक एवं स्वयं उपस्थित होने पर भी आवेदन स्वीकर नहीं किये जायेंगे।

उक्त से सम्बन्धित जानकारी हेतु श्री दिलीप कुमार जू०असिस्टेंट के मो.न. (7983587925) से सहायता हेतु जानकारी प्राप्त की जा सकती है।



(स्वाति चन्द्रा)

सचिव


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
औरैया।

पत्रांक:-

/औरैया


(इन्द्र देव दुबे)

पीठासीन अधिकारी,
स्थायी लोक अदालत,
औरैया।


(ग्रीश कुमार वैश्य)


जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जनपद औरैया।

दिनांक:-

फरवरी, 2024


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- श्रीमान सदस्य, सचिव, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ।
- श्रीमान सेण्ट्रल प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर (कम्प्यूटर), माननी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अनुरोध सहित वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सादर प्रेषित।
- जिलाधिकारी, औरैया को अनुरोध सहित नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।
- उपजिलाधिकारी, औरैया को अनुरोध सहित नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।
- जिला सूचनाधिकारी औरैया को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क चरणबद्ध प्रकाशन हेतु।
- नजारत, जनपद न्यायालय औरैया के सूचना पट पर लगाये जाने हेतु प्रेषित।
- केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय, औरैया को इस आशय के साथ प्रेषित कि सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
- सिस्टम आफिसर को उक्त विज्ञप्ति जनपद न्यायालय, औरैया की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(स्वाति चन्द्रा)

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
औरैया।


(इन्द्र देव दुबे)

पीठासीन अधिकारी,
स्थायी लोक अदालत,
औरैया।


(ग्रीश कुमार वैश्य)

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जनपद औरैया।

—: आवेदन प्रारूप:—

1. पद का नाम (जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है।)
2. नाम— फोटो
3. पिता का नाम—
4. निवास का स्थायी पता—
5. मोबाइल न०—
6. पद का नाम (जिस पद से सेवा निवृत्त हुये हैं।)—
7. सेवा निवृत्त दिनांक— माह व वर्ष
8. विभाग का नाम व पूरा पता (जहां से सेवा निवृत्त हुये हैं।)
9. कम्प्यूटर अथवा शार्ट हैण्ड की जानकारी है अथवा नहीं—
(आशुलिपिक के पद पर आवेदन करने वालों के लिये ऐसे
कोई विशेष अर्हता जिसका उल्लेख करना चाहते हों)—

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचना मेरे निजी ज्ञान में सच व सही हैं, यदि किसी भी समय उक्त सूचनाएं गलत या झूठी पायी गयीं हों तो उसकी पूर्ण रूपेण जिम्मेदार मैं स्वयं होंरुंगा/होंरुंगी व इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा मेरे विरुद्ध की गयी कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी। मैंने आवेदन से सम्बन्धित सभी नियम/शर्तों का अवलोकन कर लिया है तथा वे सभी मुझे स्वीकार हैं।

दिनांक—

स्थान—

आवेदन के पूर्ण एवं पठनीय हस्ताक्षर
तथा पूर्ण पते सहित।

नोट— आवेदन के साथ डाक टिकिट लगे दो लिफाफे होने चाहिये, तथा आवेदन के साथ लगे शैक्षिक योग्यता प्रपत्र स्व हस्ताक्षरित होने चाहिये तथा यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदन प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया का प्राप्त हो जाने चाहिए, उसके पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।